आज्ञा - पत्र

दिनांक	
26/5/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक व वादी अभिभाषक की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 30/5/25 को पेश हो।
30/5/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी अभिभाषक के अपने दावे में पत्र व शपथ पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए क्रमशः आवेदन स्वीकार किये जाने तथा आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया। वादी अभिभाषक की बहस मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत गत्रा० पत्र मूलवाद व टा० दावे में पत्र अपने हाजिरी व अदम पैरवी के खारिज हो जाने के उपरान्त पेश किया गया। हस्तगत आवेदन के कंडिका दावे मूलवाद व टा० दावे पत्र को पूरा पढ़कर पर लिये जाने हेतु बाजबाबदी प्रा० पत्र पेश किया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर मूलवाद व मूल टा० आवेदन का पूरा पढ़कर लिया जा चुका है तथा टा० आवेदन के स्थगन को यथावत रखा गया है। अतः हस्तगत पत्रावली का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर पढ़कर के कहने बाद अभिवादी दायिक दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर